कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14324/970 दिनांकः– 08.01.13

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 02/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें, साथ ही पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन भी प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

85

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–02/12–13
(अवधि– 2008–09 से 2010–11 तक)

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर (खगड़िया) के लेखापरीक्षा अवधि 2008–09 से 2010–11 तक के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना के स्थानीय लेखा परीक्षा, बिहार के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 23.03.12 से 31.03.12 तक की गयी।

2. प्रशासन

क्र0 सं0	नाम	कार्यावधि
	अध्यक्ष	
(i)	श्रीमती प्रियंका कुमारी	01.04.08 से 31.03.11
	उपाध्यक्ष	
(i)	श्री सनोज कुमार मिश्र	01.04.08 से 31.03.11
	कार्यपालक पदाधिकारी	
(i)	श्री जनार्दन कुमार(वरीय उपसमाहर्ता)	01.04.08 से 28.04.10
(ii)	श्री मो0 शाहजहाँ(भूमि सुधार उपसमाहर्ता)	29.04.10 से 31.03.11

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना लेखा परीक्षा की गयी अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I में तथा अनुपलब्ध/असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II में दी गयी है।

4. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं उनमें किए गए आपत्तियों के अनुपालन का विवरण निम्न है:–

क्र0 सं0	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 एवं वर्ष	बकाया पैरा	अनुपालन	शेष
1	2/1989–90(1985–86 से 87–88)	16	11	5
2	79/1995–96(1988–89 से 94–95)	24	16	8
3	4/2003–04(1995–96 से 2001–02)	35	35	0
4	439/2008–09(2002–03 से 2007–08)	30	07	23

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं तत्संबंधी कंडिकाओं पर की गयी कार्यवाही पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध है कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण के दिशा में उचित कदम उठाया जाए।

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में कहा गया कि कर्मचारियों के अभाव में अनुपालन की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यह जवाब लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है।

5. बजट

नगरपालिका अधिनियम–2007 के धारा 82 के अनुसार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आगामी वर्ष का बजट प्राक्कलन विहित प्रपत्र में तैयार कर मुख्य पार्षद के माध्यम से 15 फरवरी तक नगर पंचायत के बैठक में पेश करवायेंगें। नगर पंचायत इस बजट प्राक्कलन को सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा यदि कोई हो पर विचार कर प्रत्येक वर्ष के 15 मार्च तक परिवर्तन के साथ स्वीकार कर राज्य सरकार को प्रेषित करेगी जिसे राज्य सरकार 31 मार्च तक परिवर्तन या बिना परिवर्तन के लौटाएगी।

परंतु नगर पंचायत द्वारा उक्त रीति से अंकेक्षण अवधि का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। बजट के अभाव में नगर पंचायत द्वारा किया गया व्यय अप्राधिकृत था। अतः कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि आगे से बजट उचित तरीके से तैयार किया जाय।

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में कहा गया कि आगे से उचित तरीके से बजट बनाने का प्रयास किया जाएगा।

6. वित्तीय संव्यवहार

(क) नगर पंचायत गोगरी जमालपुर(खगड़िया) के वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान प्रारंभिक शेष, प्राप्ति, व्यय एवं अंतशेष का विवरण निम्नलिखित है:–

क्र0 सं0	विवरण	2008–09	2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष	69,08,762.42	2,66,44,772.42	2,95,13,523.42
2	प्राप्ति			
(क)	आवंटन	1,84,00,065.00	5991005.00	4,50,39,914.00
(ख)	स्वयं के स्रोत	30,73,010.00	3,97,959.00	5,18,853.50
	कुल प्राप्ति	2,14,73,075.00	63,88,964.00	4,55,58,767.50
3	खर्च			
(क)	योजना	4,94,100.00	28,02,393.00	63,40,811.00
(ख)	स्थापना एवं अन्य प्रशासनिक व्यय	7,63,966.00	4,64,306.00	8,11,445.00
(ग)	विविध	478997.00	2,53,464.00	26,25,728.00
	कुल व्यय	17,37,065.00	35,20,163.00	97,77,984.00
4	अंतशेष	2,66,44,772.42	29513523.00	6,52,94,306.92

रोकड़ बही में वर्ष 2008–09 में P/29 पर पि0 क्षे0 का आवंटन ₹21,57,610.00 गलत दर्ज था जिसे वर्ष 2010–11 में P/135 पर व्यय में जोड़ कर सुधार किया गया था। उपरोक्त विवरण में यह 2008–09 में स्वयं के स्रोतों तथा 2010–11 में विविध व्यय में शामिल है।

अतः सुधार के पश्चात 2008–09 में स्वयं के स्रोत से वास्तविक आय ₹915360.00 एवं 2010–11 में वास्तविक विविध व्यय 4,68,078.00 थी।

रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2009 के अंतशेष ₹26644772.42 को दिनांक 01.04.09 को अग्रसारित करते वक्त ₹50.00 कम ₹26644722.42 दिखाया गया। अतएव रोकड़ बही में सुधार कर अगले लेखापरीक्षा दल को दिखाया जाय।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत गोगरी जमालपुर की वित्तीय स्थिति सुदृढ नहीं थी एवं यह अपने स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय को भी पूरा करने में सक्षम नहीं थी।

अतः नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि नगर पंचायत अपने स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय को पूरा करने में सक्षम हो सके। इसके लिए कर निर्धारण

82)

खतरनाक एवं भयावह कारोबार से संबंधित करारोपण उचित प्रकार से लागू की जाये जिससे राजस्व की वृद्धि की जाए एवं नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति सुदृढ हो सके।

(ख) अन्तिम अवशेष (Closing Balance)

दिनांक 31.03.11 को रोकड़ बही के अंतशेष का मदवार विश्लेषण निम्नलिखित था:–

क्र0 सं0	मद	राशि(₹)
1	रा0 गंदी बस्ती	447657.00
2	विविध	565435.25
3	S.J.R.Y	135504.00
4	N.R.Y	96995.00
5	12 वॉ वित्त आयोग	3472361.00
6	हो0 टैक्स	2551815.40
7	2217 पथों का निर्माण	5813718.00
8	निर्वाचन	3300.50
9	विधायक योजना/टंकी	35751000.00
10	2235 क0अ0 योजना	94500.00
11	पि0 क्षे0 निधि	5796152.00
12	मैचिंग ग्राण्ट	1956628.00
13	वार्ड पार्षदों का वेतन	75500.00
14	घाट पार्क जलाशय	3872880.00
15	नाला निर्माण	1632986.00
16	भवन निर्माण	2887875.00
17	प्रबंधक का वेतन	140000.00
	कुल	65294307.15
	रोकड़ बही में अवर्गीकृत राशि	–0.23
		65294306.92

परन्तु दिनांक 31.03.11 को बैंक खाते में अवशेष राशि का स्थिति निम्नवत थीः–

क्र0 सं0	मद	खाता सं0	राशि(₹)
1	P.L. A.C	094	55001741.26
2	U.N.B	21034	5730945.28
3	U.N.B	12482	717341.00
4	S.B.I	11473997355	3783650.00
5	Co- Operative Bank		610.00
6	अस्थायी अग्रिम		22,000.00
7	Single Lock		37994.38

रोकड़ बही के अंतशेष तथा बैंक पासबुक के अवशेष के अंतर को Single Lock/Cash in hand के रूप में दर्शाया गया है। इस अंतर राशि का विश्लेषण रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया। अतः समाधान विवरण तैयार कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

7. लेखाओं का संधारण

नगर पंचायत द्वारा प्राप्त नगद राजस्व से सीधे स्थापना एवं विविध मद में (सहायक रोकड़ पंजी में दर्ज कर) व्यय करने के पश्चात शेष राशि को समय–समय पर बैंक में जमा पाया गया।

बिहार म्यूनिसिपल एकाउन्ट्स रूल 1928 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा प्राप्त सभी राजस्व को कोषागार खाते में जमा किए जाने के पश्चात व्यय किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किए जाने के कारणों से अगले लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया जाय।

नगर पंचायत द्वारा रोकड़पाल रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया। इससे प्राप्त राजस्व का बैंक में जमा एवं हाथ में रखी नगद राशि का विश्लेषण की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। रोकड़पाल बही का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाय।

8. आवंटन एवं अनुदान विनियोजन

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर द्वारा आवंटन एवं आवंटन/अनुदान विनियोग पंजी विहित प्रपत्र में संधारित नहीं की गयी थी। हालाँकि नगर पंचायत द्वारा आवंटन के संबंध में एक पंजी रखी गयी थी। इससे एवं रोकड़बही के अवलोकन से अंकेक्षण वर्ष के दौरान प्राप्त आवंटन/अनुदान निम्नानुसार थेः–

क्र0 सं0	वर्ष	राशि(₹)
1	2008–09	1,84,00,065.00
2	2009–10	59,91,005.00
3	2010–11	4,50,39,914.00
	कुल	69430984.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–III पर है)

अनुदान विनियोग पंजी का विहित संधारण कर अगले लेखा परीक्षा दल को दिखाया जाए।

टिप्पणी

संधारित अनुदान पंजी में पृष्ठ सं0 23 पर ₹10,000.00 की राशि पि0 पदा0 सह0 प्र0 जन0 पदा0 के ज्ञा0 02/14.02.11 से आवंटित पायी गयी परंतु इसे सामान्य रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था। इसके कारणों से अगले लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया जाय।

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में कहा गया कि आगे से आवंटन/अनुदान विनियोग पंजी विहित प्रपत्र में तैयार करने का प्रयास किया जाएगा।

9. निधियों का अवरोधन

रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि राज्य सरकार से विभिन्न मद में प्राप्त आवंटन नगर पंचायत के खाते में योजना के चयन एवं क्रियान्वयन के अभाव में निष्क्रिय पड़ी थी।

विवरण निम्न है:–

क्र0 सं0	मद	राशि(₹)	विवरण
1	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास परियोजना	4,47,,657.00	2007–08 की अवशेष राशि
2	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	1,35,504.00	–तथैव–
3	विधायक निधि(चापाकल हेतु) प्रति वार्ड 2 की दर से	15,48,000.00	25.03.08 को रोकड़ बही में न0 वि वि0 पत्रांक 836 दिनांक 21.02.08 से प्राप्त

4	घाट पोखर पार्क आदि	28,72,880.00	30.03.09 को रोकड़ बही में
		10,00,000.00	न0 वि0 वि0 पत्रांक 59/ना0 सं01–03
		3872880.00	दिनांक 09.02.09 से प्राप्त 15.03.11 को रोकड़ बही में NVVV 4850/20.08.10 से प्राप्त
5	नेहरू रोजगार योजना	30,000.00	2007–08 की अवशेष राशि
	कुल	60,34,041.00	

उपरोक्त मद में घाट पोखर को छोड़कर अन्य भाग से योजना के चयन एवं क्रियान्वयन अब तक नहीं किए जाने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

अवरूद्ध अनुदान राशि को यथाशीघ्र व्यय किया जाये अथवा आवंटित राशि को राज्य सरकार को वापस कर अगले लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया जाय।

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में कहा गया कि शेष राशि को खर्च करने की कार्रवाई की जा रही है। यह जवाब लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है।

10. नहीं जमा राशि(₹0.22 लाख)

होल्डिंग कर संग्रह रसीद, दैनिक संग्रह पंजी एवं सहायक रोकड़ पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि गृह कर की वसूली गयी राशि ₹21,736.00 नगर पंचायत निधि में नहीं जमा की गयी थी। लेखापरीक्षा आपत्ति के उपरांत राशि अंकेक्षण के दौरान जमा कराया गयाः–

जिसका विवरण निम्न है–

क्र0 सं0	रसीद सं0/तिथि	बकाया (राशि ₹में)	अंकेक्षण के दौरान जमा (राशि ₹में)	वसूलीकर्त्ता का नाम
1	1159 से 1164	2574.00	2574.00	गोपी कृष्ण पांडेय
	15.12.10			
2	1560 से 1585	19162.00	19162.00	अजय कुमार, कमीशन एजेंट
	22.01.11 से 25.03.11	21736.00	21736.00	

78)

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–IV पर)

11. रसीद बुकों का अप्रस्तुतीकरण

रसीद सं0 601 से 1000 तक का रसीद एवं दैनिक संग्रह पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला है। रसीद बुकों के लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से राजस्व के गबन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उपर्युक्त रसीद बुकों से संग्रहित राशि को नगर पंचायत निधि में जमा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाय एवं लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

12. करों की वसूली का दर कम होना

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान माँग, वसूली की स्थिति निम्नलिखित थी:–

	2008–09	2009–10	2010–11
माँग	3090779.00	2597843.00	2373554.00
वसूली	650169.00	381522.00	1720064.00
शेष	2440610.00	2216321.00	653490.00
प्रतिशत(%)	21.03	14.68	72.46

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–V पर)

उक्त आँकड़ों से प्रतीत होता है कि नगर पंचायत की वसूली जमा अत्यंत दयनीय (21.03 से 72.46%) थी।

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में कहा गया कि वसूली का दर बढाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त जवाब लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है।

अतः अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाये ताकि पंचायत निधि की स्थिति सुदृढ़ हो सके। माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया है। अतः इसे संधारित कर अगले लेखा परीक्षा दल को दिखाया जाय।

13. होल्डिंग का पुनरीक्षण विहित दर से नहीं किया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 127(8) के अनुसार होल्डिंग कर मकान के वार्षिक किराया मूल्य के अनुसार निम्नलिखित तरीके से लगाया जाएगा–

(i) होल्डिंग कर– वार्षिक किराया मूल्य के 2.5% की दर से

(ii) जल कर– वार्षिक किराया मूल्य के 2.0% की दर से

(iii) शौचालय कर– वार्षिक किराया मूल्य के 2.0% की दर से

(iv) नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वार्षिक किराया मूल्य पर कर की दर को पुनरीक्षित कर सकती है।

सरकार के दिशा–निर्देशो के अनुसार होल्डिंग कर का 50% शिक्षा कर एवं स्वास्थ्य कर के रूप से वसूलना है।

नगर पंचायत बोर्ड गोगरी जमालपुर की दिनांक 14.07.04 को संपन्न बैठक प्रस्ताव सं0 6 में होल्डिंग कर 8% की दर से तथा शौचालय कर 4% की दर से काटने का निर्णय लिया गया। जबकि वार्ड सं0 19 के होल्डिंग कर के पुनर्निर्धारण में होल्डिंग कर 6% की दर से तथा शौचालय कर 3% की दर से लिया गया। करों के निर्धारण में विचलन की पूर्वानुमति राज्य सरकार से नहीं ली गयी। लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब में कहा गया कि वार्डों में पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया की जा रही है एवं निर्देश के आलोक में वसूली का प्रयास किया जा रहा है।

अतः सक्षम प्राधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि सभी वार्डों के होल्डिंग कर का पुनरीक्षण नियमपूर्वक जल्द से जल्द किया जाय एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर नियमानुसार वसूल कर राज्य सरकार के खाते में जमा करने की कार्रवाई की जाय।

14. टिन टिकट की बंदोबस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व हानि–₹2.24 लाख

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर द्वारा वर्ष 2008–09 से 2009–10 के दौरान टिन टिकट का बंदोबस्ती नहीं किया गया था, एवं वर्ष 2010–11 में 9.07.10 से 31.03.11 को अवधि हेतु ही ₹63,500.00 में बंदोबस्ती किया गया था।

76)

वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 तथा 1.04.10 से 8.07.10 के दौरान बंदोबस्ती नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

नियमानुसार बंदोबस्ती की राशि में 15% जोड़कर आगामी वर्ष की बंदोबस्ती हेतु सुरक्षित जमा की राशि निर्धारित की जानी चाहिए। वर्ष 2006–07 में राशि ₹62,500 में बंदोबस्ती किया गया था, अतः उक्त दर के अनुसार वर्ष 2008–09 में ₹82,656.00 में, 2009–10 में ₹95055.00 में तथा 2010–11 में ₹1,09,313.00 में किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार उपरोक्त अवधि में कुल ₹2,23,524(82,656+95055+(109313–63500)) की राजस्व हानि हुई। उपरोक्त आपत्ति के जवाब में कहा गया कि डाक बोलने वाले की कमी के कारण टिन टिकट की बंदोबस्ती नहीं की जा सकी। उक्त जवाब लेखा परीक्षा में मान्य नहीं था।

अतः राजस्व हानि हेतु जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये तथा जिम्मेदार व्यक्ति से राशि ₹2,23,524.00 की वसूली की जाये।

15. मोबाइल टावर कम्पनियों पर बकाया शुल्क

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर द्वारा मोबाइल टावर पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसके कारण यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि नगर पंचायत क्षेत्र में कुल कितनी मोबाईल टावर स्थित थी तथा उनके विरूद्ध बकाया कुल राशि क्या थी। यद्यपि रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित मोबाइल कम्पनियों के द्वारा शुल्क जमा किया गयाः–

क्र0 सं0	कम्पनी का नाम	शुल्क का प्रकार	राशि(₹)
1	रिलायंस	केबुल लगाने का शुल्क	2,16,000.00
			dated 12.04.08
2	वोडाफोन	टावर शुल्क	(क) 80,000.00/D.D.No.
			524488 dated 16.03.08
			(ख) 80,000.00/D.D.No.
			524489 dated 16.09.08
			(ग) 80,000.00/D.D.No.

			524490 dated 16.09.08
			कुल 2,40,000.00
3	एयरटेल	टावर शुल्क	27,000/ dated 29.11.08
4	एयरसेल	टावर शुल्क	80,000/ dated 12.01.09
5	वायरलेस T.T	टावर शुल्क	80,000/ dated 03.01.10

अतः नगर पंचायत में कार्यरत टावरों तथा उनपर बकाया की राशि की पंजी का संधारण कर वसूली की कार्रवाई की जाय एवं अगले लेखा परीक्षा दल को दिखाया जाय।

16. कबीर अंत्येष्टि योजना की असमायोजित राशि–₹2.81 लाख

कबीर अंत्येष्टि योजना मद में नगर पंचायत गोगरी जमालपुर द्वारा प्राप्त आवंटन एवं वार्ड पार्षदों को दी गयी राशि की संक्षिप्त विवरणी निम्नलिखित है:–

क्र0सं0	वर्ष	प्राप्ति/तिथि	वार्ड पार्षदों दी गयी राशि/तिथि	शेष
1	2008–09	60,000/17.04.08	51,000/11.07.08	
			9,000/14.11.08	NIL
2	2009–10	2,00,000/31.03.10	221000.00/31.07.10	NIL
		21,000/14.05.10		
3	2010–11	67,500/03.03.11		
		27,000/27.03.11	NIL	94,500.00
	कुल	3,75,500.00	कुल 281000.00	94,500.00

कबीर अंत्येष्टि योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार योजना की राशि को वार्डवार वितरित कर वार्ड सदस्य व सरकारी सेवक के संयुक्त खातों में बैंक/डाकघर में रखना है। परन्तु इसका उल्लंधन किया गया।

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में कहा गया कि इस मद में प्राप्त राशि व्यय कर ली गयी है तथा उसका समायोजन कर लिया जाएगा। उक्त जवाब लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है।

कबीर अंत्येष्टि योजना मद में वार्ड पार्षदों को दी गयी राशि ₹2,81,000.00 के समायोजन से अगले लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया जाय।

17. बारहवीं वित्त आयोग की राशि का ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु व्यय नहीं किया जाना

बारहवीं वित्त के सहायक रोकड़ पंजी के अवलोकन में संव्यवहार निम्न पाया गया:–

	2008–09	2009–10	2010–11
प्रारंभिक शेष	20,01,221.00	24,48,420.00	35,64,038.00
आवंटन	8,82,960.00	11,75,618.00	12,00,000.00
कुल योग	28,84,181.00	36,24,038.00	47,64,038.00
व्यय	4,35,761.00	60,000.00	12,91,677.00
अंतशेष	24,48,420.00	35,64,038.00	34,72,361.00

प्राप्त आवंटन

	तिथि	राशि (₹ में)
(i)	30.04.08	882960.00
(ii)	31.03.10	587809.00
(iii)	31.03.10	587809.00
(iv)	15.03.11	1200000.00
		3258578.00

आवंटनादेश के अनुसार राशि का 50% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में व्यय करना था परंतु इस प्रकार का व्यय नहीं पाया गया। इस राशि को निरूद्ध कर खाते में रखने के कारणों से अंकेक्षण दल को अवगत नहीं कराया गया।

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में कहा गया कि निर्देशानुसार राशि का व्यय किया गया है। भुगताना बाकी है। उक्त जवाब लेखा परीक्षा में मान्य नहीं था।

अतः बारहवीं वित्त आयोग अनुदान की अवशेष राशि को दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय किया जाय या संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को वापस कर दिया जाय।

18. प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान का अवरोधन

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर को राज्य सरकार द्वारा NVHV पत्रांक 4533/29.08.08 से दिनांक 04.03.09 को ₹28,87,875.00 प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए प्राप्त हुआ था।

नगर पंचायत ने राज्य सरकार से प्राप्त एक मानक प्राक्कलन ₹38,50,500.00 के आधार पर निविदा निकाल कर कार्य श्री मनोज कुमार संवेदक को 04.09.10 को 6 माह की अवधि में अधिसूचित दर पर संपन्न करने के लिए सौंपा। कार्यादेश के 6 माह की अवधि में कार्य आरंभ करने का प्रयास नहीं किया गया। नगर परिषद् की अपनी भूमि न होने के कारण जिला परिषद् की आम बैठक में दिनांक 07.01.11 को नगर पंचायत के प्रशासनिक भवन का निर्माण जिला परिषद् के जमीन पर किये जाने का निर्णय लिया गया था। परंतु उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् ने पत्रांक 215 दिनांक 11.08.11 द्वारा जिला परिषद् की भूमि पर नगर पंचायत भवन का निर्माण रोकने हेतु पत्र दिया। इस प्रकार जिला परिषद् से भूमि के हस्तांतरण या लिखित पूर्वानुमति के बिना कार्य प्रारंभ कराया गया था।

इसी दौरान स्टील एवं सीमेंट के मूल्य में वृद्धि होने के कारण नगर पंचायत ने मानक प्राक्कलन में कुछ संरचनात्मक बदलाव के साथ राज्य सरकार को ₹5647600.00 के पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत करने के लिए 28.04.11 को प्रेषित किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

जिला परिषद् के निर्णय के आलोक में भूमि चिन्हित कर हस्तांतरण किए बिना कार्य शुरू कराने के कारणों को अगले लेखा परीक्षा दल को दिखाया जाय।

नगर पंचायत प्राधिकारी की अदूरदर्शिता एवं यथोचित निर्णय नहीं लेने के कारण नगर पंचायत भवन निर्माण की राशि का उपयोग नहीं हो सका एवं नगर पंचायत कार्यालय अपने भवन से वंचित रहा। उपरोक्त आपत्ति के जवाब में कहा गया कि जिला परिषद् से जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त निधि की व्यवस्था आंतरिक स्रोत से की जाएगी। उक्त जवाब लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है।

अतः प्राधिकारी से अपेक्षा है कि राशि की यथोचित व्यवस्था करते हुए नगर पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

72)

19. योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमिततायें –₹19.93 लाख

नगर पंचायत में निविदा के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की नमूना जाँच में योजना सं0 04/09–10, 05/09–10, 09/09–10, 15/09–10, 17/09–10 एवं 07/10–11 में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयीः–

(i) तकनीकी बीड के दौरान अग्रधन की राशि एवं अन्य वांछित कागजातों के समर्पित नहीं करने के फलस्वरूप अन्य संवेदकों के असफल रहने से वित्तीय बीड में केवल एक संवेदक की निविदा शेष रह गयी थी। इस प्रकार एकल निविदा को स्वीकृत किया गया था।

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 के अनुसार एकल निविदा की स्थिति में एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना है। परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

(ii) संहिता के नियम 160 के अनुसार सभी निविदाओं को संवेदकों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोलना था। परंतु नगर पंचायत द्वारा तकनीकी डाक के तुलनात्मक विवरणी पर किसी भी संवेदकों का हस्ताक्षर नहीं पाया गया।

(iii) असफल निविदादाता का हस्ताक्षर उसके द्वारा समर्पित दस्तावेज(तकनीकी डाक) पर नहीं था।

(iv) निविदा दाखिल करते समय निविदा दाताओं द्वारा इस बात का शपथ पत्र नहीं दाखिल किया गया कि इस कार्य से संबंधित प्रमंडल में उनके नजदीकी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल/कनीय अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी के रूप में कार्यरत नहीं है।

(v) आयकर अधिनियम 1961 के धारा 194C के अनुसार संवेदक को ₹20,000.00 से अधिक के भुगतान के स्रोत पर 1% की दर से आयकर की कटौती की जानी थी, परंतु नगर पंचायत द्वारा इन योजनाओं से ₹19935.00 आयकर की कटौती नहीं की गयी थी। आयकर की कटौती नहीं की गयी राशि ₹19935.00 की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति(यों) से की जाय। उपरोक्त आपत्ति के जवाब में कहा गया कि आयकर जमा करने का प्रमाण–पत्र निविदा के समय लिया जाता है तथा लेखा परीक्षा के अन्य निर्देशों का अनुपालन का प्रयास किया जाएगा। उक्त जवाब लेखा परीक्षा में मान्य नहीं था।

उपर्युक्त आपत्तियो के निराकरण होने तक ₹1973546.00(1993481–19935) की राशि लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(विवरण परिशिष्ट सं0–VI पर)

20. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की स्थिति

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बलों की संख्या निम्नलिखित है:–

स्वीकृत पद	स्वीकृत पद की सं0	कार्यरत कर्मचारी की सं0
Group C (i) प्रधान लिपिक सह लेखापाल	01	00
(ii) टैक्स दारोगा सह रोकड़पाल	01	00
Group D (i) सफाई जमादार	01	01
(ii) अनुसेवक	01	01
(iii) सफाईकर्मी	05	02
(iv) ट्रैक्टर चालक	00	00

नगर पंचायत में प्रधान लिपिक सह लेखापाल तथा टैक्स दारोगा सह रोकड़पाल के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यबल शून्य था। सफाई कर्मी के 5 स्वीकृत पदों के स्थान पर वर्त्तमान में सिर्फ 2 व्यक्ति कार्यरत पाये गये। महत्वपूर्ण कार्यों को दैनिक वेतनभोगियों के द्वारा निष्पादित किया जा रहा था।

महत्वपूर्ण पदों पर स्थायी नियुक्ति न होने से नगर पंचायत का कार्य प्रभावित हो रही थी। अतः प्राधिकारी से अपेक्षा है कि इन पदों पर सरकार की अनुमति से नियुक्ति की जाय।

21. अग्रिम की स्थिति

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के अग्रिम पंजी के जाँच के दौरान यह पाया गया कि अग्रिम पंजी का विहित संधारण नहीं किया गया था। इसमें वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान दिये गये एवं समायोजित किये गये अग्रिम तथा वर्ष के अंत में बकाया अग्रिम दर्शाया नहीं गया था हालाँकि रोकड़ बही एवं अग्रिम पंजी में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा ली गयी अग्रिम की राशि का समायोजन अबतक नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्नांकित है:–

अग्रिम की तिथि	अग्रिम प्राप्तकर्त्ता का नाम	अग्रिम की राशि(₹)
25.03.11	अं0 अ0 गोगरी	2,000.00
16.04.07	मनोज जैन	10,000.00

लेखापरीक्षा आपत्ति पर जवाब दिया गया कि अग्रिम का समायोजन कर लिया जायेगा।

अतः अग्रिम की कुल राशि ₹12,000.00 को समायोजन कर अगले लेखापरीक्षा दल को दिखाया जाय।

22. लेखा परीक्षा का परिणाम

क्र0सं0		राशि(₹)
1	लेखा परीक्षा के दौरान वसूल की गयी राशि	21,736.00
2	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	2,43,459.00
3	लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी गयी कुल राशि	19,73,546.00

(परिशिष्ट संख्या–VII पर)

23. कार्यपालक के साथ वार्त्तालाप

लेखा परीक्षा में पायी गयी अनियमितताओं एवं त्रुटियों पर बिन्दुवार चर्चा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ लेखा परीक्षा के दौरान तथा अंकेक्षण समाप्ति के दिन की गयी।

24. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत निधि के लेखाओं के संधारण में सुधार की काफी आवश्यकता है। आवंटन पंजी, अनुदान विनियोजन पंजी, अग्रिम पंजी, रोकड़पाल रोकड़ बही माँग एवं वसूली पंजी, आदि के संधारण की आवश्यकता है। इन पंजी/अभिलेखों के संधारण नहीं किये जाने से किसी भी वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि लेखाओं के विहित संधारण की दिशा में उचित कदम उठाया जाय। बकाया करों एवं शुल्कों की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप सभी प्रकार के शुल्कों एवं करों का करारोपण किया जाय। ताकि नगर पंचायत निधि की आर्थिक स्थिति को सुदृढ किया जा सके।

–हस्ता0–

वरूण प्रकाश

(स0 ले0 प0 अ0)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार(एस0 एस0–I)

–सह–

स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

संo एलo एo/एसo एसo–1/ शo स्थाo निo/ दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत गोगरी जमालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का जवाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महिनों के अंदर इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाय।

"यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।"

ह० –

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार ,पटना

संo एलo एo/एसo एसo–1/ शo स्थाo निo/ 14324/970 दिनांकः– 08/01/13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

(i) प्रधान सचिव, बिहार सरकार,नगर विकास एवं आवास विभाग,पटना

(ii) जिलाधिकारी, खगड़िया

8/1/13

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर (खगड़िया) 2008-09 से 10 तक।

परिशिष्ट-1

(कंडिका 3 व 4 संदर्भित)

अंकेक्षण को उपलब्ध करायी गयी अभिलेखों की सूची निम्न है:-

1. एकाउन्टेंट कैश बुक
2. बैंक पास बुक
3. बैंक स्टेटमेंट (आंशिक)
4. वाउचर (आंशिक)
5. योजना पंजी
6. स्कीम फाइल (आंशिक)
7. स्टाक पंजी (फार्म)
8. विविध रसीद, गृह कर रसीद
9. बंदोबस्ती संचिका

Vafh
A A0 (P)

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर (खगड़िया) वर्ष 2008-09 से 10-11

(6)

परिशिष्ट II

(प्रतिवेदन की कंडिका सं० 3 से संदर्भित)

गयी अथवा अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराई गयी अभिलेखों की सूची —

संधारित नहीं की गयी अभिलेखों की सूची —

1. कैशियर कैश बुक
2. अग्रिम पंजी
3. अनुदान पंजी
4. वार्षिक लेखा
5. बजट पंजी
6. बैठक पंजी
7. अनुदान विनियोग पंजी
8. सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पंजी
9. पी० एफ० लेखा

Vaph
AAO

परिशिष्ट III

~~L.A./A.K.-2~~ ~~Appendix~~ ~~dated 29/1/12~~

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर (वर्ष 2008-09 से 10-11) (कंडिका सं० 8 से संबंधित)

नगर पंचायत में प्राप्त आवंटन का विवरण

क्रम संख्या	रोकड़बही की तिथि	राशि	स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश संख्या एवं तिथि	विवरण
1	2	3	4	5
	2008-09			
1	17.04.08	60,000.00	सहायक निदेशक सा.सु. खगड़िया प्रा. 134/31.03.07	कबीर अंत्येष्टि
2	30.04.08	8,82,960.00	पत्रांक 1938/17.04.08	12वीं वित्त
3	30.04.08	27,12,700.00	न.वि.वि. पत्रांक 1948/17.04.08	मैचिंग ग्रांट
4	06.06.08	21,57,650.00	जि.परि. खग. पत्रांक 194/25.04.08	पि० क्षे० अनु० निधि
5	11.09.08	5,000.00	जि.पदा. खगड़िया पत्रांक 130/11.03.08	उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित प्रचार प्रसार हेतु
6	03.03.09	78,000.00	न.वि.वि. पत्रांक 4535/29.08.08	वार्ड पार्षदों का भत्ता
7	04.03.09	28,87,875.00	न.वि.वि. " 4533/29.08.08	भवन निर्माण मद हेतु
8	04.03.09	25,33,000.00	न.वि.वि. " 4479/26.08.08	नाला निर्माण हेतु
9	04.03.09	42,10,000.00	न.वि.वि. " 4536/29.08.08	पथों के निर्माण हेतु
10	30.03.09	28,72,880.00	न.वि.वि. " 59/ना.प.(1-03) 08-05 दिनांक 09.02.09	पोखर, घाट, पार्क, जलाशय आदि निर्माण
		1,84,00,065.00		
	2009-10			
11	17.07.09	13,79,072.00	जि. परिषद खगड़िया प्रा. 119/30.06.09	पि० क्षेत्र अनु० निधि
12	17.07.09	23,93,000.00	" 122/30.06.09	पि० क्षेत्र अनु० निधि
13	05.12.09	1,95,331.00	न.वि.वि. 5208/01.10.08	वेतन मद
14	03.02.10	25,50,768.00	जि.परि. खगड़िया पत्रांक 38 दिनांक 22.01.2010	पि० क्षेत्र अनु०
15	31.03.10	78,000.00	न.वि. एवं आ.वि. प्रा. 1420 दिनांक 19.03.10	वार्ड पार्षद भत्ता
16	31.03.10	2,00,000.00	जि. पदा. खगड़िया पत्रांक 374 सा. सु. दिनांक 07.12.09	कबीर अंत्येष्टि
17	31.03.10	5,87,809.00	न.वि.आ.वि. प्रापांक 1338/17.03.10	बारहवीं वित्त (प्रथम)
18	31.03.10	5,87,809.00	" 41/25.03.10	बारहवीं वित्त (द्वितीय)
19	31.03.10	1,72,916.00	न.वि.आ.वि. प्रा. 26/16.03.10	मैचिंग ग्रांट
		~~81,44,705.00~~		
		59,91,005.00		

Appendix II

~~E.A/A.K.-2~~ ~~Appendix~~ ~~[illegible]~~

65

1	2	3	4	5
	2010-11			
20	14.05.10	21,000.00	जि० पदा० बेगूसराय पत्रां 583 सा०नु /29.04.10	कबीर अंत्येष्टि
21	29.11.10	1,40,000.00	न० वि० आ० वि० पत्रांक 6243 दिनांक 03.11.10	नगर प्रबंधकों का मानदेय
22	08.12.10	5,830.00	जि० पदा० बेगूसराय चेक 394470 दिनांक 05.05.10	कूपन एवं राशन कार्ड मद में कार्यालय व्यय
23	28.01.11	1,82,600.00	जि० पदा० सह प्र० जन गणना पदा० बेगूसराय ज्ञापांक 188/12.02.10	जनगणना प्रगणक के मानदेय भुगतान हेतु
24	28.01.11	25,800.00	जि० पदा० बेगूसराय पत्रांक 538/13.12.10	विकलांग एवं निःसहाय के नगद सहायता हेतु
25	10.02.11	53,500.00	जि० पदा० सह प्र० ज० पदा० बेगूसराय 188/12.02.10	प्रगणक/ट्रेनर हेतु (जनगणना)
26	20.01.11	10,000.00	जि० पदा० " ज्ञा 104/05.07.10	मकान सूचीकरण एवं वास्तविक परिगणना हेतु कार्यालय व्यय
27	15.01.11	3,000.00	- तदैव -	- तदैव -
28	15.01.11	7,000.00	जिला पदा० बेगूसराय सा० 557/आ० प्र० दिनांक 18.12.10	शीत लहर से बचाव हेतु
29	15.03.11	3,42,03,000.00	न० वि० आ० वि० ज्ञा० 4987/23.08.10	पेयजलापूर्ति हेतु
30	15.03.11	38,00,000.00	न० वि० आ० वि० ज्ञा० 4854/20.08.10	पार्कों के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु
31	15.03.11	10,00,000.00	न० वि० आ० वि० ज्ञा० 4850/20.08.10	पार्क तालाब नदी घाट हेतु
32	15.03.11	12,00,000.00	न० वि० आ० वि० ज्ञा० 4713/17.08.10	13वीं वित्त
33	19.02.11	97,665.00	न० वि० आ० वि० ज्ञा 125/20.10.10	वेतनादि 40%.
34	18.1.11	8,23,630.00	जि० परि० पत्रांक 420/27.12.10	पि० क्षेत्र अनु० वर्ष 2009-10 (द्वितीय
35	18.1.11	13,21,640.00	जिला परि० पत्रांक 417/27.12.10	पि० क्षे० अनु० वर्ष 2010-11 प्रथम
36		10,000.00	जि० पदा० सह प्र० ज० पदा० ज्ञा 02/14.02.11	जनगणना मद लिपिकीय कार्य हेतु
37	03.03.11	30,800.00	जि० पदा० " ज्ञा० 05/14.02.11	प्रगणक/मास्टर ट्रेनर के मानदेय हेतु
38	03.03.11	67,500.00	जिला पदा० बेगूसराय सा० 24/सा०नु 24/01/10	कबीर अंत्येष्टि
39	29.03.11	27,000.00	- तदैव - 78/09.03.11	- तदैव -
40	31.03.11	1,41,700.00	जि० पदा० सह प्र० ज० पदा० 87/09.03.11	जनगणना हेतु -
41	31.03.11	6,50,169.00	न० वि० वि० ज्ञा 166/28.03.11	13वीं वित्त 2010-11
42	31.03.11	33,750.00	जि० पदा० सह प्र० ज० पदा० ज्ञा० 7/24.03.11	प्रगणक परिशिक्षण हेतु
43	15.03.11	11,81,930.00	प्रा० पत्र महालेखाकार 412/10.1.11	स्टांप शुल्क 09/2006 से 06/2007 तक का/
44	29.03.11	2400.00	जिला पदा० 129/सा०नु० 05.3.10	शीत लहर हेतु
		45,03,99,914.00		

[illegible signature]

Appendix— IV

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर (खगड़िया) वर्ष 2008-09 से 2010-11
कम/ नहीं जमा तथा अंकेक्षण के दौरान जमा राशि की विवरणी (कंडिका सं० 10 से संबंधित)

क्रम संख्या	रसीद संख्या	तिथि	वसूलित की गयी राशि	जमा की गयी राशि	अंतर राशि	अंकेक्षण के दौरान जमा राशि	बकाया राशि	संग्रह कर्ता का नाम	जमा का विवरण
1	ग्रहकर रसीद 1159 से 1164	15.12.10	2574=00	शून्य	2574=00	2574	शून्य	गोपी कृष्ण पाण्डेय	यूनियन बैंक खाता दिनांक 26.03.12 खाता क 21034 ₹ 2584=00
2	~~[illegible] रसीद~~								
2	ग्रहकर रसीद 1560 से 1585	22.01.11 से 25.03.11	19162=00	शून्य	19162=00	19162=00	शून्य	अजय कुमार कमीशन एजेंट	यूनियन बैंक खाता ख. 21034 दिनांक 28.03.12

कुल ₹21736/- ₹21736/—

Vol
AAO(P)

(63)

Appendix V

(कंडिका 12 से संबंधित)

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर Holding tax (बकाया) वर्ष 2008-09 से 2010-11

Year	Demand			Collection			Rest amount		
	Previous	Current	Total	Previous	Current	Total	Previous	Current	Total
2008-09	2933546.00	157233.00	3090779.00	612928.00	37241.00	650169.00	2320618.00	119992.00	2440610.00
2009-10	2440610.00	157233.00	2597843.00	349563.00	31959.00	381522.00	2091047.00	125274.00	2216321.00
2010-11	2216321.00	157233.00	2373554.00	1671630.00	48434.00	1720064.00	544691.00	108799.00	653490.00

26/3/12

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर
खगड़िया

AAO(P)

परिशिष्ट VI (कंडिका सं.-19 से संदर्भित)

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर (खगड़िया)

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 10-11

योजना क्रियान्वयन में हुई अनियमितताओं की विवरणी

क्रम सं०	योजना सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	प्रकाशन	अनुमोदन	भुगतान	आयकर कटौती नहीं	अन्य त्रुटियाँ
01.	17/09-10 12वाँ वित्त	वार्ड नं०-13 में सुनील बाजोरिया के घर से श्री ... वाली बाबू के घर के पास PWD सड़क तक PCC निर्माण कार्य संवेदक — श्री मनोज कुमार	320400=00 तकनीकी स्वीकृति — सहायक अभियंता गोगरी 20.10.08	निविदा — 14.11.09; तकनीकी बीड — 18.11.09; वित्तीय बीड — 19.12.09	तकनीकी — कार्यपालक पदाधिकारी 05/12/09; कार्यादेश — 25/03/10	3,19525=00; चेक — 12781=00; सीमान्ती — 4213=00	7157=00	(i) असफल संवेदक द्वारा अग्रधन की राशि जमा नहीं करने से वित्तीय डाक एकल निविदा हो गयी। (ii) संवेदक के द्वारा इस बात का शपथपत्र नहीं दायर किया गया कि कार्य से संबंधित प्रमंडल में उनका कोई नजदीकी रिश्तेदार प्रमंडलीय लेखापाल/ कनीय अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी के रूप में कार्यरत नहीं है। (iii) आयकर कटौती नहीं की गयी थी।
02.	15/09-10 पथ निर्माण जर्जोद्धार	वार्ड नं०-4 काली स्थान मोहल्ला ... से कयूमउद्दीन अंसारी घर तक PCC निर्माण संवेदक — श्री शमशेर आलम	266000=00 तकनीकी स्वीकृति — सहायक अभियंता गोगरी 20.10.08	निविदा — 17/02/09; तकनीकी बीड — 18/11/09; वित्तीय बीड — 18/12/09	तकनीकी — तदैव; कार्यादेश — 16/02/10	2,65,999=00	5958=00	(i) असफल 2 संवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का कागज जमा नहीं किया गया। अतः वित्तीय बीड एकल हो गयी। (ii) — तदैव — (iii) — तदैव —
03.	09/9-10 पथ निर्माण एवं जर्णोद्धार	वार्ड नं०-18 चैती दुर्गा मंदिर छोटेलाल तांती से ... तांती घर तक PCC निर्माण संवेदक — श्री अरुण कुमार सिंह	420600=00 — तदैव —	निविदा — 17/02/09; तकनीकी बीड — 18/11/09; वित्तीय बीड — 18/12/09	तकनीकी — तदैव; कार्यादेश — 31/12/09	397732=00	8909=00	(i) — तदैव — (ii) — तदैव — (iii) — तदैव —
04.	04/9-10 — तदैव —	वार्ड नं०-9 मोहन यादव से विलास यादव घर तक PCC निर्माण संवेदक — श्री जितेंद्र कुमार	326707=00 — तदैव — 26/11/08	निविदा — 17/02/09; तकनीकी बीड — 18/11/09; वित्तीय बीड — 18/12/09	तकनीकी — तदैव; कार्यादेश — तदैव	283735=00	6356=00	(i) असफल संवेदक द्वारा अग्रधन की राशि जमा नहीं करने से वित्तीय डाक एकल निविदा हो गयी। (ii) — तदैव — (iii) — तदैव —
05	07/[illegible]	[illegible]	499[illegible] — तदैव — 21.04.10	निविदा — [illegible]; तकनीकी बीड — 27.08.10; वित्तीय बीड — [illegible]	तकनीकी — तदैव; कार्यादेश — 20.12.10	402206=00	11025=00	(i) — तदैव — (ii) — तदैव — (iii) — तदैव —
06	02/09[illegible]	[illegible] के सामने ... तक [illegible]	[illegible] — तदैव — [illegible]	निविदा — 14.11.09; तकनीकी बीड — [illegible]; वित्तीय बीड — [illegible]	तकनीकी — तदैव; कार्यादेश — [illegible]	234284=00	5248/-	(i) — तदैव — (ii) — तदैव — (iii) — तदैव —
					कुल	1993481=00	44,653/-	

अंकेक्षक

Ver
AAO(A)

परिशिष्ट–VII
(कंडिका सं0 22 से संदर्भित)
लेखा परीक्षा का परिणाम

क्र0सं0	कंडिका सं0	वसूल की गयी राशि(₹)	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि(₹)	आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि(₹)
1	10	21,736.00	–	–
2	14	–	2,23,524.00	–
3	19	–	19,935.00	19,73,546.00
		21,736.00	**2,43,459.00**	**19,73,546.00**